संख्या-59/2016/2042 ई-2/तेरह-2016-45/2014

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 19 सितम्बर,2016

विषय:-सैन्य इकाई 23 PUNJAB (LAUNGEWALA) PIN-911923 c/o 56 APO द्वारा दिनांक 01-10-2016 को मनाये जाने वाले गोल्डेन जुबिली समारोह के अवसर पर उपभोग की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा/रम की प्रतिफल फीस में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-17/नौ-781 एफ/जी/अल्कोहल, दि0 29-8-2016 का क़पया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सैन्य इकाई 23 PUNJAB (LAUNGEWALA) PIN-911923 c/o 56 APO द्वारा दिनांक 01-10-2016 को मनाये जाने वाले गोल्डेन जुबिली समारोह के अवसर पर उपभोग की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा/रम पर देय आबकारी प्रतिफल फीस रू0 1,01,271.10 (रूपये एक लाख एक हजार दो सौ इकहत्तर तथा पैसे दस मात्र) में 50 प्रतिशत् अर्थात् रू0 50,635.00(रूपये पचास हजार छः सौ पैंतीस मात्र) की छूट अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि भारत निर्मित विदेशी मदिरा/रम का उपभोग उत्तर प्रदेश में चिन्हित दिनांक व स्थान पर ही किया जायेगा एवं विषयगत अनुमति शासनादेश संख्या-

5481ई-2/तेरह-92-338(5)/82, दिनांक 22 दिसम्बर,1992 एवं शासनादेश संख्या-3115 ई-2/तेरह-95-338(5)/82, दिनांक 30 अक्टूबर,1995 में वर्णित प्रतिबन्धों के अधीन होगी।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-330/दस-2016, दिनांक 19 सितम्बर,2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद कुमार तिवारी)

अनु सचिव।

संख्या-59/2016/2042(1) ई-2/तेरह-2016, तद्यदिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9.

(3) ले0 कर्नल सेकेण्ड इन कमाण्ड, 23 PUNJAB (LAUNGEWALA) PIN-911923 c/o 56 APO

आज्ञा से,

(विनोद कुमार तिवारी)

अनु सचिव।